

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं.2010/टेली/11(2)/1

नई दिल्ली, दिनांक 29/09/2014

महाप्रबंधक

सभी भारतीय रेलें, सभी उत्पादन इकाइयां, कोर/ इलाहाबाद

महानिदेशक/ अ.अ.मा.सं. एवं रेलवे स्टाफ कालेज, महानिरीक्षक/ आरपीएसएफ

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कॉफमो, डीसीडब्ल्यू, आईआरपीएमयू एवं छपरा तथा रायबरेली स्थित नई उत्पादन इकाइयां

निदेशक/ इरिसेट, इरिसेन, इरीन, इरमी, आईआरआईटीएम

अध्यक्ष, सभी भारतीय रेल भर्ती बोर्ड।

मुख्य प्रबंध निदेशक / रेलटेल/ गुड़गांव

टेलीकॉम परिपत्र सं. 6/2014


विषय:- भारतीय रेलों के लिए सीयूजी सुविधा का विस्तार।

- संदर्भ: (i) बोर्ड का दिनांक 07.06.2006 का पत्र सं. 2004/टेली/टीएन/3
(ii) बोर्ड का दिनांक 27.07.2007 का पत्र सं. 2006/टेली/टीएन/1
(iii) बोर्ड का दिनांक 15.02.2008 का पत्र सं. 2004/टेली/टीएन/3 पार्ट
(iv) बोर्ड का दिनांक 21.10.2011 का पत्र सं. 2010/टेली/11(2)/1

रेलटेल द्वारा अक्टूबर, 2011 में तैयार की गई मौजूदा सीयूजी स्कीम की वैधता 30.09.2014 को समाप्त हो रही है। रेलटेल ने उपलब्ध समय के भीतर संशोधित सीयूजी स्कीम को अंतिम रूप देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है और उन्होंने मौजूदा सीयूजी अनुबन्ध की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया है।

मौजूदा सीयूजी स्कीम अनुबन्ध की अवधि को बढ़ाने के संबंध बोर्ड कार्यालय में विचार किया गया और दिनांक 21.10.2011 के समसंख्यक पत्र के तहत परिपत्रित मौजूदा सीयूजी अनुबन्ध की वैधता को, नए अनुबन्ध को अंतिम रूप दिए जाने अथवा 4 महीने के लिए, जो भी पहले हो, तक बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।



(हरीश पवारिया)

निदेशक/ दूरसंचार


ई मेल: dtele@rb.railnet.gov.in

दूरभाष 011-23388504

सं.2010/टेली/11(2)/2

नई दिल्ली, दिनांक 29/09/2014

- प्रतिलिपि प्रेषित: 1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें।
2. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/निर्माण, सभी भारतीय रेलें।
3. भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलवे), कमरा सं. 224, रेल भवन,



कृते वित्त आयुक्त/ रेलवे